विद्यालय - Central Children Academy (P29169)

मान्यता कोड : RJJJN25417

कार्यालयः जिला शिक्षा अधिकारी, माध्यमिक(प्रथम/दवितीय)JHUNJHUNUN,

क्रमांक:

1067

विनांक 20,08-2018

आवेदन क्रमांक : 24600

सचिव

प्रबंध समिति

Central Children Academy

विषय - राजस्थान गैरसरकारी शैक्षिक संस्था (मान्यता, सहायता अनुदान और सेवा शर्ते आदि) नियम, 1993 के नियम 5 के उपनियम (8) के तहत विद्यालय के लिए मान्यता क्रमोन्नति एवं अन्य हेतु प्रमाणपत्र।

आपके आवेदन पत्र कमांक 24600 और इस सम्बन्ध में संस्था/ विद्यालय के साथ किये गए पश्चातवर्ती पत्र व्यवहार/ निरीक्षण के सन्दर्भ में, Central Children Academy पता Shankhla Bhawan, Opp. LIC Office, Ward No.-14, Road No.-3 Link Road, Jhunjhunu ग्राम पंचायत/ शहरी स्थानीय निकाय JHUNJHUNU CITY (NP) ब्लॉक JHUNJHUNU को शैक्षणिक सत्र 2018-19 से निर्देशालय, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर से अनुमोदनोपरान्त निम्नलिखित शर्ती के अधीन निम्नानुसार मान्यता मंजूर करता हूँ:-

क्रमोन्नति			
पूर्व मान्यता के अनुसार विद्यालय की श्रेणी		No M	Pr. with Up.Pr. with sec. Only (1-10)
क्या विद्यालय मान चाहता है स्टीकृत संकाय एवं	तिषय का विवरण	ता 10 / कक्षा 11 के साथ कक्षा 12 संचातित कर	
विज्ञान संकाय	Physics (Science Stream Stream)), Chemistry (Science Stream), Biology (Scien	ce Stream), Mathematics (Science
वाणिज्य संकाय			7
कला संकाय			

20/08/2018

Generated from NIC-PSP(http://rte.raj.nic.in) Web-Portal

Page 1 of 3

मान्यता कोड : RJJJN25417

 विद्यालय, राजस्थान गैर सरकारी शैक्षिक संस्था अधिनियम, 1989 एवं राजस्थान गैर सरकारी शैक्षिक संस्था (मान्यता, सहायता अनुदान और सेवा शर्ते आदि) नियम, 1993 के उपबन्धों का पालन करेगा।

- 2. विद्यालय कक्षा1 से 8 तक की शिक्षा के सम्बन्ध में नि:शुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 तथा राजस्थान नि:शुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम, 2011 के उपबन्धों का पालन करेगा।
- 3. राज्य सरकार/विभाग द्वारा समयसमय पर प्रसारित नियमों/आदेशों/निर्देशों का अनिवार्यत पालन करना होगा तथा वांछित सचनाएं/अभिलेख अविलम्ब उपलब्ध करवाने होंगे।
- 4. माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, राजस्थान, अजमेर अथवा विभागीय निरीक्षण के समय विद्यालय के लिए निर्धारित मापदण्ड (भौतिक एवं वित्तीय) मय किसी प्रकार की कमी पाये जाने पर मान्यता समाप्ति की कार्यवाही की जायेगी।
- 5. विदयालय द्वारा भविष्य में कभी भी राज्य सरकार से अनुदान की मांग नहीं की जाएगी।
- 6. माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, राजस्थान, अजमेर के मान्यता सम्बन्धित विनियमों की पालना करनी होगी एवं मान्यता प्रप्ति के बाद विद्यालय को माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान, अजमेर से सम्बद्धता हेतु बोर्ड द्वारा निर्धारित अविध में आवेदन करना होगा।
- 7. विद्यालय का नाम/भवन/वर्ग/माध्यम परिवर्तन इत्यादि विभाग द्वारा निर्धारित प्रक्रिया से स्वीकृति प्राप्त कर ही किए जाएँगे।
- 8. विद्यालय को दी जा रही मान्यता के अनुसार उसी सत्र में कक्षाएँ प्रारम्भ करनी होंगी, मान्यता के अनुसार उस सत्र में कक्षाएँ संचालित नहीं होने पर मान्यता स्वतः ही समाप्त हो जाएगी।
- 9. माध्यमिक/उच्च माध्यमिक स्तर की क्रमोन्नित होने पर मान्यता के वर्ष में ही कक्षा9 के साथ कक्षा 10/कक्षा11 के साथ कक्षा 12 उसी स्थिति में चलाई जा सकती है, जब इसकी स्वीकृति मान्यता प्रमाणप्रत्र में दी गई हो।

भाष्यमिक जुन्त

Generated from NIC-PSP(http://rte.raj.nic.in) Web-Portal

Page 2 of 3

20/08/2018

आवेदन क्रमांक : 24600

विद्यालय - Central Children Academy (P29169) आवेदन क्रमांक : 24600 मान्यता कोड : RJJJN25417 प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु। 1 निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर। 2 वरिष्ट शासन उप सचिव, शिक्षा (गुरपे5) विभाग, राजस्थान, जयपुर। 3 सचिव, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, राजस्थान, अजमेर। 4 उपनिदेशक, माध्यमिक शिक्षा,.... 5 रक्षित पत्रावली। Generated from NIC-PSP(http://rte.raj.nic.in) Web-Portal 20/08/2018 Page 3 of 3